पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

<u>राज्यपाल ने अध्यादेश प्रख्यापित किया</u>

लखनऊः 7 मार्च, 2019

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2019 को प्रख्यापित कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अध्यादेश से संबंधित पत्रावली आज राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में 'सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर' एवं आजमगढ़ में 'आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़' स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नवस्थापित होने वाले सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जनपद तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ के अंतर्गत आजमगढ़ और मऊ जनपद होंगे। दोनों नवस्थापित विश्वविद्यालयों में प्रथम परिनियमावली न बनने तक सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली के उपबंध लागू होंगे।

अंजुम/ललित/राजभवन (99/14)